संख्या-82/2016/1658/सैंतीस-2-2016-1(77)/03टीसी।।

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-08 जुलाई, 2016

विषयः- **पशु रोग नियँत्रण योजना (60 प्रति0के0पो0) (सामान्य) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-158/सा0-1/एक्स-120(4)/एस्कैड-सामान्य/2016-17, दिनांक-03.06.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुओं में मानसून से पूर्व एच.एस. टीकाकरण की आवश्यकता/समयबद्धता के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0205-पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-600.00 लाख (रूपये छः करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (हजार में)**
04-यात्रा व्यय	12300.00
07-मानदेय	650.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	400.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3000.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	750.00
29-अनुरक्षण	400.00
39-औषधि तथा रसायन	3000.00
42-अन्य व्यय	3500.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	36000.00
योग-	**60000.00**

(रूपये छः करोड़ मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय उपलब्ध परिव्यय की सीमान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) योजनान्तर्गत वस्तुओं आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा पशुपालन विभाग में प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीनों, उपकरणों आदि के क्रय हेतु शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) मानक मद 04 एवं 15 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाय जिससे पेट्रोल/यात्रा भत्ता बीजकों का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।

(5) धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।

(6) मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र व 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय संगत शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया व शर्तों की पूर्ति करते हुए किया जायेगा।

(7) मानक मद 29-अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से आगणन अनुमोदित कराने के उपरान्त ही किया जाय।

(8) स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु, यदि जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी हों, तो संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इसका व्यय नई मदों में न किया जाय।

(9) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता की धनराशि राज्य के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-04-केन्द्र द्वारा समर्थित योजनान्तर्गत स्कीमों के लिए अनुदान-800-अन्य अनुदान-15-पशुधन के नामे क्रेडिट की जाएगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0205-पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-2-607/दस-2016, दिनांक-08.07.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>पृ0सं0-82/2016/1658(1)/सैंतीस-2-2016- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन,दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in